

कार्यालय अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

भूखण्ड के आवंटन / नियमतीकरण के लिये आवेदन

फोटो

प्रेषिती:-

सचिव,

अजमेर विकास प्राधिकरण,

अजमेर।

1.	(क) आवेदक और उसके माता पिता का नाम और डाक का पता।	
	(ख) यदि आवेदन अन्य की ओर से फाईल किया गया है तो मुख्तारनामों की प्रमाणित प्रति	
	(ग) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, संगम ज्ञापन/संगम-अनुच्छेद और प्राधिकृत निदेशक के पक्ष में बोर्ड के निदेशकों के संकल्प की प्रमाणित प्रति (यदि आवेदक कम्पनी है)	
	(घ) रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज की प्रमाणित प्रति (यदि आवेदक फर्म/संस्था है)	
	(ङ) राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी अधिनियम 2010 (यदि लागू हो) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र	
2.	आवेदित क्षेत्र का ब्यौरा: (1) ग्राम और तहसील का नाम (2) खसरा संख्या और क्षेत्रफल या भूमि के अन्य ब्यौरें	
3.	स्वामित्व के समर्थन में दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति और आवेदित भूमि के ब्यौरें	
	(क) प्रारूप-1 के अनुसार नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित शपथपत्र	
	(ख) प्रारूप-2 के अनुसार नोटरी पब्लिक द्वारा सम्यक रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंध पत्र	
	(ग) हक / पट्टे का सबूत	
	(घ) विक्रय विलेख / विक्रय करार/वसीयत / मुख्तारनामों की प्रति	

	(ड) ले-आउट प्लान।	
	(च) यदि भूखण्ड की सीमा में कोई एच टी / एल टी लाईन या ट्रांसफार्मर है।	
	(छ:) यह सबूत कि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग 17 जून 1999 से पूर्व किया गया है।	
	(ज) आवेदक की पहचान का सबूत	
4.	प्रिमियम की 10% रकम, चालान संख्या और तारीख।	
5.	(क) लम्बित न्यायालय प्रकरण (यदि कोई हो)	
	(ख) किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित रोक आदेश या व्यादेश के ब्यौरें।	
6.	दस्तावेजों की कुल संख्या	
7.	पृष्ठों की कुल संख्या	
8.	आवेदन की तारीख।	

आवेदन सम्यक रूप से अनुप्रमाणित शपथ-पत्र, सम्यक रूप से अनुप्रमाणित बंधपत्र और उपर उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्रयोजन (गैर-कृषिक उपयोग का प्रवर्ग विनिर्दिष्ट करें) के लिये भूमि के आवंटन/नियमितीकरण के लिये मूल व दो स्वयं अनुप्रमाणित प्रतियां में प्रस्तुत किया जाता है।

(100/- रू. के स्टाम्प पर)

प्रारूप-2

क्षतिपूर्ति बंधपत्र

फोटो

मैं/हम श्री..... पुत्र श्री..... आयु.....
निवासी..... ग्राम.....
तहसील..... जिला.....

मैं/हम इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में शपथ लेता हूँ/लेते हैं और घोषणा करता हूँ/करते हैं :-

1. कि मैं /हम निम्नानुसार वर्णित भूमि, जिसके लिये भूमि के आवंटन और मेरे /हमारे पक्ष में पट्टा विलेख जारी करने के लिये आवेदन प्रस्तुत किया गया है, का/के स्वामी हूँ/हैं।

क्र.सं.	भूमि के ब्यौरे (कॉलोनी और भूखण्ड संख्या)	क्षेत्रफल

2. कि मैं/हम, मामले में अ.वि.प्रा. सचिव द्वारा भूमि के आवंटन और पट्टा विलेख जारी करने के कारण कारित किसी हानि, यदि कोई हो, के लिये अ.वि.प्रा. सचिव को क्षतिपूर्ति करने के लिये इसके द्वारा स्वयं को पाबन्द करता हूँ/करते हैं।
3. यह कि मैं/हम स्कीम के अनुमोदन और भूमि के आवंटन के कारण मामले में उत्पन्न किसी विवाद के कारण या आवेदक द्वारा कोई कार्य करने या लोप के कारण किसी हानि, यदि कोई हो, के लिये अ.वि.प्रा. सचिव को क्षतिपूर्ति करने के लिये इसके द्वारा स्वयं को पाबन्द करता हूँ/करते हैं।
4. यह कि अ.वि.प्रा. सचिव को, आवेदक की ओर से किसी शर्त, नियम या आदेश के भंग पर आवंटन को निरस्त करने और ले-आउट प्लान के अनुमोदन को प्रत्याहृत करने का अधिकार होगा और आवेदक इस प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को कारित किसी धनीय हानि के लिये दायी होगा।

आवेदक

(10/- रु. के स्टाम्प)

प्रारूप-1

शपथ-पत्र

फोटो

मैं/हम श्री..... पुत्र श्री..... आयु

निवासी ग्राम.....

तहसील जिला

मैं/हम इसके द्वारा निम्नलिखित रूप में शपथ लेता हूँ/लेते हैं और घोषणा करता हूँ/करते हैं :-

1. कि मैं /हम निम्नानुसार रूप में वर्णित भूमि का/के स्वामी/कब्जा धारक हूँ/हैं और मेरे/हमारे पक्ष में आवंटन तथा पट्टा विलेख जारी करने के लिये आवेदित भूमि के सम्बन्ध में किसी न्यायालय द्वारा कोई रोक/व्यादेश प्रवृत्त नहीं हैं और भूमि समस्त विल्लंगमों और विवादों से मुक्त हैं।

क्र.सं.	भूमि के ब्यौरे (ग्राम और खसरा नम्बर)	क्षेत्रफल

2. कि मैं/हम, अ.वि.प्रा. सचिव को विद्यमान विधियों और नियमों के अनुसार समस्त शोध्य और रकम का इसके द्वारा संदाय करने का पालन करूँगा/करेंगे।
3. यह कि राज्य सरकार और अ.वि.प्रा. सचिव द्वारा समय-समय पर जारी समस्त निर्देशों और आदेशों का आवेदकों द्वारा पालन किया जायेगा।
4. यह कि आवेदित भूमि दी गयी अनुज्ञा में उल्लिखित प्रयोजन के लिये ही उपयोग में ली जायेगी और अ.वि.प्रा. सचिव के विहित मानकों के अनुसार और अनुमोदित ले-आउट प्लान के अनुसार विकसित की जायेगी।
5. यह कि आवेदन के साथ संलग्न किये गये दस्तावेज मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य एवं प्रमाणिक है और मेरे द्वारा कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

अभिसाक्षी

सत्यापन

मैं उपयुक्त नामित अभिसाक्षी इसके द्वारा सत्यापित करता हूँ कि उपायुक्त शपथपत्र के पैरा 1 से 5 तक की अन्तर्वस्तु सत्य और सही है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है और इसका कोई भी भाग मिथ्या नहीं है। अतः ईश्वर मेरी सहायता करें।

मेरे द्वारा पहचान की गयी:-

अभिसाक्षी

घोषणा

मैं / हम, इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ/ करते हैं कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही/सत्य है।

आवेदक का पता

.....
.....
.....

जो लागू न हो उसे काट दें।

नोट:- आवेदन अजमेर विकास प्राधिकरण , अजमेर की वेबसाईट www.urban.rajasthan.gov.in/ada पर भी उपलब्ध है।

प्राप्ति

आवेदक ने दिनांक को आवेदन प्रस्तुत किया है, जो दिनांक को रजिस्टर में संख्या पर रजिस्ट्रीकृत किया गया है।

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर